आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......38....../17–18

राज्य बनाम होण्डा मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19E-4173

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
14.11.17	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में बिहरा थाना कांड संख्या–171/17 दिनांक–03.08.17 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत जब्त वाहन होण्डा मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19E-4173 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बिहरा थाना कांड संख्या–171/17 दिनांक–03.08.17 में सूचना के आधार पर ग्राम बिजलपुर स्थित रेलवे ढ़ाला गुमटी पर पहुँचा तो पुलिस गाड़ी एवं पुलिस बल को देखते ही एक होण्डा मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19E-4173 काला रंग पर सवार दो व्यक्ति मोटर साईकिल रोककर भागने लगा, जिसे पुलिस की तत्परता से भाग रहे दोनो व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ाये दोनो व्यक्ति का नाम पता पूछने पर एक व्यक्ति अपना नाम चुनचुन भारती पिता–नागेश्वर प्रसाद यादव एवं दूसरा मनीष कुमार यादव पिता–श्रीप्रसाद यादव दोनों सा0 बिजलपुर थाना–बिहरा जिला–सहरसा बताया इसी बीच देखते ही देखते ग्रामीण एवं राहगीर जमा हो गया उपस्थित दो स्वतंत्र साक्षी 1. चन्द्रशेखर कुमार पिता–प्रमोद प्रसाद यादव सा0 दुबयाही 2. रविरंजन कुमार पिता–सहदेव यादव सा0 गढ़िया दोनों थाना मठाही, जिला–मधेपुरा के समक्ष पकड़ाये दोनों व्यक्ति के पास का कार्टून को जाँच किया गया तो कार्टून के अन्दर में 14 बोतल अंग्रजी शराब रॉयल स्टेग ब्रांड का 375 एम0एल0 का बरामद हुआ जो टोटल–5.250 लीटर	

14.11.17

है जिसे उक्त स्वतंत्र दोनों साक्षियों के समक्ष जब्त कर विधिवत जप्ती सूची बनाया गया एवं पकड़ाये दोनों व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया तथा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पु0अ0नि0 बसंत उरॉव के स्वलिखित आवेदन के आधार पर बिहरा थाना काण्ड संख्या–171/17 दिनांक–03.08.17 धारा 30 (a) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के विरूद्ध प्रा0 नामजद अभियुक्त 1. चुनचुन भारती पिता–नागेश्वर प्रसाद यादव एंव 2. मनीष कुमार यादव पिता–श्रीप्रसाद यादव दोनों सा0– बिजलपुर थाना–बिहरा जिला–सहरसा के दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में इस काण्ड के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 1. चुनचुन भारती एवं 2. मनीष कुमार यादव को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक–04.08.17 को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है एवं जब्त विदेशी शराब के नमुना के तौर पर एक बोतल 375 एम0एल0 जाँच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार, पटना भेजा गया है। उक्त विदेशी शराब और जब्त वाहन को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। जिससे वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षीगण की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि होण्डा मोटर साईकिल 2013 में खरीद किया था जिसका रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19E-4173 जो मेरे नाम से है। बिहरा थाना के पुलिस पदाधिकारी द्वारा मेरे उपर बिहरा थाना काण्ड संख्या 171/17 स्थानीय प्रतिद्वंदियों के प्रभाव में आकर झूठा दर्ज किया गया है तथा उपरोक्त मोटर साईकिल को जब्त कर थाने में रखा गया है। बिहरा थाना काण्ड संख्या–171/17 के पूर्व किसी भी प्रकार का मोकदमा न तो किसी थाने में दर्ज है और न ही किसी न्यायालय में इनके विरूद्ध चल रहा है। इन्हें बिहरा थाना काण्ड संख्या–171/17 में गाँव की गंदी राजनीति के तहत फँसाया गया है। ये कभी भी शराब का कारोबार नहीं करता था और न करने का शपथ पत्र भी इनके द्वारा माननीय विशेष न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष दाखिल किया है। बिहरा थाना काण्ड संख्या–171/17 के जप्ती सूची में इनका हस्ताक्षर नहीं है। ये बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति हँ तथा जबरन बिहरा थाना पुलिस द्वारा मेरे उपरोक्त वर्णित मोटर साईकिल को जब्त कर उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त किया गया है।

इनके वाहन से शराब परिवहन नहीं किया गया है इस सम्बन्ध में इनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

14.11.18

	विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः जब्त वाहन होण्डा मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19E-4173 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है। 14.11.17 14.11.17 समाहर्त्ता, सहरसा। समाहर्त्ता, सहरसा।	

ज्ञापांक 1795-2/विधि, सहरसा, दिनांक 15-11-2017.

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा/अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14.11.017